राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 659वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9925/2023 Shri Mehmood Khan, Director, M/s Dollex Agrotech Pvt. Ltd., 401, Naroli Arcade, 19/1, Manormaganj, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Molasses/B Molasses/Can Juice/Syrup based fuel ethanol plant (Molasses: 60 KLD, B Mollasses - 80 KLD, Can Juice/Syrup -100 KLD) along with 3 MW Power Plant and 72 TPD CO2 Generation at Khasra No. 25, 26, 28, 31 & 37 Village-Erai, Tehsil-Badoni, District-Datia (MP], Cat. 5(g).

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Molasses/B Molasses/Can Juice/Syrup based fuel ethanol plant (Molasses : 60 KLD, B Mollasses - 80 KLD, Can Juice/Syrup -100 KLD) along with 3 MW Power Plant and 72 TPD $\rm CO_2$ Generation at Khasra No. 25, 26, 28, 31 & 37 Village-Erai, Tehsil-Badoni, District-Datia (MP) .

प्रकरण 650वीं बैठक दिनांक 08/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण दिनांक 13/07/2023 को सूचीबद्ध किया गया।

The case presented by the Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and authorized representative of PP Shri Mehmood Khan, Director M/s. Dollex Agrotech Pvt. Ltd., Indore wherein during presentation PP submitted that the Google image of the site which is available for year 2020, shows some structures present at site, to avoid the confusion regarding violation, following clarification and fact were presented by PP, for proving that the violation has not done wrt EIA notification 2006. PP further submitted that:

- The project is proposed adjacent to sugar unit which is owned by the proponent, for which consent to establish was obtained on 01.01.2020
- During the construction of sugar unit, sheds for construction material and labours were made, which are still lying over site and which will be demolished prior to start of construction of fuel ethanol unit. The demolished waste shall be sold to recyclers.
- Fuel ethanol unit is planned in year 2021 on the said location, for which approval from DFPD (Department of food and public distribution) under directorate of sugar and vegetable oil, Govt of India was obtained 29.09.2021
- Approval of PESO (Petroleum & Explosive Safety Organization) from Ministry of commerce & industry is required from layout for placing the ethanol tank at appropriate place in line with safety consideration. Without approval of PESO, construction work can not be initiated.
- Both permission were obtained in the year 2021 and the structure are at site since 2020, where that duration, sugar unit was under construction.
- Hence, the case is not of violation and at the same time it was assured that that after environment clearance and CTE from MPPCB, construction shall be started.

Salient features of the project

Salient Features of the proposed Project		
Items	Proposed	
Site Address	Khasara No. 25,26,28,31,37 , Village Erai,	
	Tehsil Badoni Dist Datia (MP)	
Production Capacity	C-Molasses : 60 KLD	
	B Molasses - 80 KLD	
	Can Juice/Syrup -100 KLD along with 3 MW	
	Power Plant, 72 TPD CO ₂ Generation	
Cost of Project	Rs. 9693.53 Lacs	
Raw Material Requirement	C Molasses : 250-252TPD	
	Can Juice/ Syrup: 330TPD	
Boiler capacity at MCR (100% Load)	35 TPH	
Stack height	45 Mtr.	
Steam Requirement	30 MT	
Fuel during B Molasses operation after	Agro west, Bagasse	
using Methane Gas (30,000 Nm3/day)		
Total water Requirement	920m ³ /Day	
Total Recycling of Water	626 m ³ / Day	
Net Fresh Water Requirement	294 m ³ / Day	

Raw Spent Wash Generation	512 m ³ / Day
Ash Generation from Boiler	3300 MT/Annum
Consumed Power Requirement	1400 KW
Feed to MEE	737 m ³ /Day
Process condensate from MEE	202 m3/ Day
Capacity of CPU	690 m3/Day
Capital Cost for Environmental measures	2862.75 Lacs
Bio-methanation, MEE, Dryer, CPU ESP for	
boiler	
Recurring cost for environmental	83.65 Lacs
Management etc (Proposed)	
Total Acquired Land	6 Hact.
Total Built Up area of Plant	27000 Sq. Mtr.
Proposed area for plantation	20000 Sq. Mtr.
Alternative Source of Power	DG set
Direct Employment Generation	90+105
Budget for CER Activities	50 Lacs

Land break Up:

Land use Break-Up for proposed unit		
Particular	In sq mtrs	
Built up area for plant, building and machinery	27000	
Area under road	1200	
Area for Raw Material Storage	400	
Area for Fuel Storage	3000	
Area for Green Belt	20000 (2 ha)	
Open land	8400	
Total Area	60000 (6 ha)	

Environmental Setting of Project

S.	Partic	ulars	Details
No.	Location	ons	
1.	Location	J113	
2.	A.	Village	Erai
3.	B.	Tehsil	Datiya
4.	C.	District	Datiya

5.	D. State	Madhya Pradesh
6.	Toposheet No.	54K/6,54K/5,54K/1,54K/2
6.7.8.	Latitude Longitude Latitude - Longitude	54K/6,54K/5,54K/1,54K/2 25°44'10.41"N - 25°44'20.37"N 78°19'27.70"E - 78°19'37.41" 1 25°44'12.89"N - 78°19'27.70"E 2. 25°44'15.40"N - 78°19'29.23"E 3. 25°44'17.46"N - 78°19'30.65"E 4. 25°44'20.37"N - 78°19'32.71"E 5. 25°44'19.09"N - 78°19'34.38"E 6. 25°44'16.40"N - 78°19'32.25"E 7. 25°44'15.21"N - 78°19'33.55"E 8. 25°44'18.12"N - 78°19'35.56"E 9. 25°44'17.36"N - 78°19'37.41"E
9.	General ground level	10. 25°44'13.67"N - 78°19'36.31"E 11. 25°44'12.84"N - 78°19'37.15"E 12. 25°44'12.11"N - 78°19'36.58"E 13. 25°44'12.42"N - 78°19'35.55"E 14. 25°44'10.41"N - 78°19'34.62"E 15. 25°44'10.87"N - 78°19'33.10"E 16. 25°44'6.67"N - 78°19'31.45"E Highest elevation – 213 m Lowest elevation - 211 m
10.	Nearest Highway	National Highway 44 – 8.50 km - E
11.	Nearest Railway Station	Sonagiri Railway Station – 8.50 km-E
12.	Nearest Airport	Jhansi air strip – 35.75 km-SE
13.	Nearest Tourist Place within 10km radius	Sonagir – 5.50 km -ESE
14.	National park/Wild Life Sanctuaries within 10km radius	None within 10 km Radius
15.	Reserved / Protected Forest within 10km radius (Boundary to boundary distance)	Ghughsi Reserved forest-2.25 km-WNW Urina Reserved forest 5.75 KM-W Reserved forest 5.50 km-SE Baroni Reserved forest 5.75 KM-SSE Surran Reserved forest-10.25 km-SE Nichrauli Reserved forest-10.50 KM-SE Girwar Reserved forest-10.75 KM -SSE
16.	Nearest Town / City within 10km radius	Badoni – 7.50 km -SE
17.	Nearest Village	Bhilla – 0.75 km - NWN
18.	Nearest River	Sindh River- 5.75 km-NW

1	9.	Nearest Nadi / Nala	Sonya nala-300m-W Parron nadi-8.75 km-ESE Mahur nadi – 3.75km-WNW Local nalla – 0.05km - E
2	0.	Nearest Hill Ranges	None within 10 km Radios
2	1.	Industry located within 10km radius	Sugar plant.

During presentation, PP submitted that this proposed ethanol unit would be ZLD based with provision of Biomethenization followed by MEE and Spray Dryer, 50% of the total spent wash having solids 12 to 14% w/w solids generated shall be recycled back to Fermenters as process water and balance spent wash shall be fed to Biogas digester. Methane gas generated in the Bio digester during the process shall be fed to boiler as boiler fuel. Spent wash containing dissolved solids up to 5 to 6% shall be fed to multi effects Bio methanated Evaporation plant for further concentration. spent wash containing 5 to 6 % w/w dissolved solids shall be further Biomethaned concentrated in the multi effects evaporation to achieve concentration up to 27 to 28% w/w solids. This concentrated Bio methanated spent wash (27-28%) w/w solids shall be further fed to Agitated Thin Film Dryers.. The final product consisting moisture less than 10% w/w moisture shall be sold as fertilizer. Spent wash will treat in Bio-Methanation unit whereas Methane gas (~30,000 Nm3/day) produces to burn in Boiler as supportive fuel and BMSW spent wash treated in to evaporation to concentrate up to 30% w/w solids (150 KLPD). Concentrated spent wash then further treat in to spray drier to produce spent wash powder (50 TPD) which is good potash rich fertilizer. By product CO2 about 72 TPD will be bottled within plant premises and disposed off.

The fresh water consumption has been estimated as 3 KL per KL for 100 KLD plant. During presentation, it was also observed that some trees (Thegadi Species) are present in north east direction of land for which PP submitted that no trees shall be uprooted.

After deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Molasses/B Molasses/Can Juice/Syrup based fuel ethanol plant (Molasses: 60 KLD, B Mollasses - 80 KLD, Can Juice/Syrup -100 KLD) along with 3 MW Power Plant and 72 TPD CO2 Generation at Khasra No. 25, 26, 28, 31 & 37 Village-Erai, Tehsil-Badoni, District-Datia (MP], subject to the special conditions:

(A) Statutory compliance:

- 1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
- 2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time & permission of competent authority if ant tree falling is to be carried out.
- 3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- 2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
- 3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS.
- 4. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- 5. DG exhaust will be discharged at height stipulated by CPCB.
- 6. CO2 generated from the process shall be bottled/made solid ice and sold to authorized vendors.
- 7. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- 8. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

- 1. Total fresh water requirement shall not exceed 294 cum/day proposed to be met from River Sindh.
- 2. The spent wash shall be taken to Bio Methanization unit followed by multi effect evaporators (MEE) and the concentrated spent wash shall be treated in Spar dryer to maintain ZLD condition from the unit.
- 3. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent (if applicable), the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
- 4. As already committed by the project proponent Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises, for which PP shall provide Bio Methanization unit, MEE, followed by Spar dryer unit for making system zero discharge
- 5. Adhere to 'Zero Liquid Discharge and No industrial effluent from the unit shall be discharged outside the plant premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
- 6. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- 7. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- 8. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.
- 9. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

- 1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets for controlling the noise pollution.
- 2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- 3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

- 1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
- 2. Possibility of installation of solar power system may be explored.

(F) Waste management

- 1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- 2. Hazardous wastes such as used oil, discarded drums, used carbon etc shall be directly sent to CTSDF, Dhar.
- 3. The Fly ash generated from boilers shall be stored in silos and disposed to farmers of the area. The ash may be mixed with available press mud
- 4. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
- 5. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate fire fighting systems should be provided for the storage area.
- 6. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
- 7. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
- 8. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.
- 9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
- 10. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
- 11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
- 12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.

- 13. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - c. Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.
 - e. Venting equipment through vapour recovery system.
 - f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation.

(G) Green Belt

1. 2 hact will be covered with the good green belt and 5000 trees will be planted. The green belt of 5m width will be developed mainly along the periphery and road side. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.

Proposed Plantation Detail			
Description	Number	Qty	
Inside and outside of Boundary wall	2000	Neem, Bargad, Arjun, Ashok, Anjan, Madhu Malti/Menhdi, Satparni, Safed & Kala Shirish	
Approach Road , internal road and Parking	1000	Putranjeeva, Arjun, Gulmohar Amaltash, Awla,	
Around Storage area CPU and Distillation Plant	1500	Ashoka Trees, KanakChampa, Rat Rani, Anjan, Satparni	
Around water storage area, Pump House	500	Mo, Jaamun, leshree , Guava, Karanj, Khamer , Awla , Neem	
	5000	TOTAL = 5000 number	

- 2. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
- 3. PP shall also develop green belt over community places in consultation with gram panchayat.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- 1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- 2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- 3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- 5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- 7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) EMP& Corporate Environment Responsibility

- 1. The proposed EMP cost is Rs. 2862.75 Lakhs as capital and 83.65 Lakhs /year as recurring cost.
- 2. Under CER activity, Rs. 50 Lakhs has proposed for different activities. PP shall comply with the commitment as follows:

S.N.	Major Activity Heads	Physical Nos. & Village	Total (Rs. In Lakhs)
1	Deepening of Pond the surrounding villages	Village Bhila, Erai Chirol and Hindola	05
2.	Up-gradation and maintenance of Library in school, college at village level.	1	40 (10 lacs in first year and 30 lacs in next two years)
3	Repair/ maintenance of School Laboratory	Primary school of village Bhila and Eari	05
	Total		50.0

- 3. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of sixmonthly report.
- 4. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- 5. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
- 6. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- 7. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

J. Miscellaneous

- 1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- 3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- 4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- 5. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. In case of deviations or alterations in the project proposal from those submitted to

- this Ministry for clearance, a fresh reference shall be made to the Ministry to assess the adequacy of conditions imposed and to add additional environmental protection measures required, if any
- 6. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

2. <u>Case No 9995/2023 Shri Ajay Kumar Gupta, Partner, SHRI HANUMANT MINING AND MINERALS, R/O Tendukheda, Dist.- Narsingpur, M.P., Prior Environment Clearance for Bichhondana Stone Quarry in an area of 1.3 ha. (15,004 cum per annum) (Khasra No. 13/1 (Govt.), Village AMAKHOH Tehsil Kesli District Sagar (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान का परियोजना प्रस्तावक श्री अजय कुमार गुप्ता एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd. द्वारा आज दिनांक 13/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थाना का नाम व पता	Shri Ajay Kumar Gupta, Partner, SHRI HANUMANT MINING AND MINERALS, R/O Tendukheda, Dist Narsingpur, M.P.		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	13/1 (Govt.)	1.3 Ha.	
परियोजना स्थल	Village AMAKHOH Tehsil Kesli District Sagar (M.P.)		
परियोजना की श्रेणी (बी–1/बी–2)	B-2 Stone Quarry		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना के अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित होने का उल्लेख है, किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनके द्वारा ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी।		
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	Fresh		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्	थर—15,004 घनमीटर / वर्ष हेतु	

	आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना के पेज
	नं—19 अनुसार पत्थर—15,004 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल
में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों	प्रमाण-पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 13/12/22 अनुसार 500
का विवरण	मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है,
	जिनको मिलाकर कुल रकबा 02.30 हे. होता है, अतः प्रकरण
	बी—2. श्रेणी के अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल
एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 13/12/22 अनुसार 10
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको
	सेंसेटिव जोन जैव विविधता नहीं है ।
	वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण, वन मण्डल, सागर के प्रवितदेन
	दिनांक 15/12/22 अनुसार उत्खनन् पट्टा आवेदित क्षेत्र 2.90
	हे. क्षेत्र वन सीमा से 30-70 मीटर दूरी पर है । प्रकरण में
	दिनांक 29 / 08 / 22 को संभागीय समिति की बैठक में वन क्षेत्र
	से 150 मीटर की दूरी पर उपलब्ध शेष क्षेत्र (रकबा 1.3 हे. क्षेत्र)
	उक्त प्रकरण स्वीकृत किया गया है ।
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल
जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 2082 दिनांक 13/12/22 अनुसार 500
	मीटर की परिधि में मानव बसाहट / शैक्षणिक
	संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक / रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन,
	दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय
	निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा
	रास्ता / पक्का रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव अनुसार खनन् कार्य ग्राम पंचायत
अनुमति	को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान	प्रस्तावित स्थल पर कुछ पेड़ है।
स्थिति	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन् कार्य रॉकब्रेकर के माध्यम से
अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक	किये जाने क प्रस्ताव शपथ–पत्र में दिया है ।
आवश्यक हो)	उत्तर-पश्चिम दिशा- आबादी 178 मीटर
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड़ 158 मीटर एवं कच्चा रोड़ 15 मीटर
	पर — 35 मीटर का सेटबेक दिया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक
	2123 दिनांक 21 / 12 / 22 के द्वारा सूचित किया है कि भविष्य

में जब भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जावेगी, उसमें इस खदान को सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

गूगल इमेज के अनुसार पूर्व दिशा में जो गढ़ढा है ओर जो असंचालित खदाने दिख रही है उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय ग्राम पंचायत महका केश्वानी वि.खा. केसली जिला सागर के पत्र क्रमांक 8/52/23 दिनांक 12/05/23 में उल्लेख है कि जिस भूमि पर यह उत्खिन पट्टा स्वीकृत है उसके पूर्व दिशा में 02 असंचालित खदाने है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिस पानी से आस—पास के क्षेत्र की कृषि की सिचाई के लिये पानी उपलब्ध होता है एवं नलकूपो का जलस्तर भी बढा है । जिस नलकूपो में गर्मीयों में जलस्तर कम हो जाता था उसका जलस्तर भी बढ गया है । परीक्षण उपरांत समिति ने पाया कि गढ़ढा बनने से जल भराव बढ़ेगा एवं ग्रामीणो को पानी मिल सकेगा। प्रकरण में दिनांक 29/08/22 को संभागीय समिति की बैठक में वन क्षेत्र से 150 मीटर की दूरी पर उपलब्ध शेष क्षेत्र (रकबा 1.3 हे. क्षेत्र) उक्त प्रकरण स्वीकृत किया गया है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि वन सीमा से 150 मीटर की दूरी पर स्थायी खम्बे वन विभाग के समानांतर लगाये जावेगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—15,004 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.14 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आमाखोह माध्यमीक शाला में एक कमरे का निर्माण करवाया जायेगा।	2,50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सफेद और काला सिरस, चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01.50 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
		कुल	1600

अनुशंसा :— उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No 7547/2020 Shri Rajesh Bansal, Director, M/s SATGURU CEMENTS PRIVATE LIMITED, PU4601/1, Airen Heights. Scheme No. 54, PU-3, Opposite C-21 Mall, A. B. Road, Indore (MP) Prior Environment Clearance for Lime Stone in an area of 44.465 ha. (3,40,191 TPA) (Khasra No. 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 411/1, 414/2, 415/1, 415/2, 419, 422, 423, 426, 429, 430, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 445, 448, 449, 452, 454, 456, 457, 459, 460, 462, 463,464, 465, 466/1, 466/2, 474, 476, 485, 486, 487), Village Rodada Tehsil Gandhwani District Dhar (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/07/23 को परियोजना प्रस्तावक राजेश बंसल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंनवायरो सर्विसेस, भोपाल द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना	Shri Rajesh Bansal, Director, M/s SATGURU CEMENTS	
/ कम्पनी / संस्थाना का नाम	PRIVATE LIMITED, PU4601/1, Airen Heights. Scheme No. 54,	
व पता	PU-3, Opposite C-21 Mall, A. B. Road, Indore (MP)	
परियोजना का खसरा नं./लीज	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 44.465 ha	
क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरों का आनलाईन उल्लेख नहीं किया गया है।	
परियोजना स्थल	ग्राम Rodada तसहील Gandhwani जिला Dhar (म.प्र.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1 Lime Stone Mine	
(बी-1 / बी-2)		

टॉर	समिति की पूर्व की 455वीं बैठक दिनांक 16/09/2020 में उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन—3,40,191 टीपीए हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी ।
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है।
ब्रेकर	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	लागू नहीं
विवरण (यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लाईम स्टोन—3,40,191 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल
परिधि में संचालित /स्वीकृत	प्रमाण-पत्र क्रमांक 1404 दिनांक 0.6/06/23 अनुसार 500 मीटर
अन्य खदानों का विवरण	की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, जिनको
	मिलाकर कुल रकबा 57.615 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी
	के अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में डीएफओ	,
की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक १४०४ दिनांक ०.६/०६/२३ अनुसार १०
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव
परियोजना के संबंध राजस्व	जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1404 दिनांक 0.6 / 06 / 23 अनुसार 500 मीटर
जारावगरा	की दूरी पर मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान है ।
	यम यूरा पर गामव वराहिट, रावामिक राखाम ह ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत रोड़दा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक
अनुमति	02/09/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत
	को कोई आपित्त नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की	प्रस्तावित स्थल पर पेड़ लगे है।
वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज	
अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक	
आवश्यक हो)	खदान की दक्षिणी सीमा पर सोलर प्लॉट एवं उद्योग स्थापित है ।
	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सोलर प्लांट नही है बल्कि सेड है
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की संपन्न जनसुन्वाई में रोज्गार, वृक्षारोपण,
	स्कूल की वाऊण्ड्रीवाल एवं स्कूल में पंखे लगाये जाये इत्यादि
	आपित्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /
	सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

		~_ ~_	रिपोर्ट अपलोड नहीं की
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	। पारशात्त्रसा प्रस्तातक ट	ाग रिन्ता सर्वाध्या	ਹਿਸਟ अਸ਼ਕਾਟ ਜਵਾ ਨਾ।
	א ייייווי אוויייויוי אוויייייי	IN INCH NIGHT	
	c \		
	1 4 1		
	गई है		
	100		

परीक्षण करने पर समिति ने पाया कि प्रस्ताव में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट नही है, अतः निम्न बिंदुओं पर जानकारी परियोजना प्रस्तावक पर दी जावें:—

- > 15 ब्लॉको के खसरा न0., भू—स्वामी का नाम, पी.2 फार्म मे दर्ज कैफियत, कास्त एंव सहमति—पत्र प्रस्तुत करें एवं इस संबंध में जिलाध्याक्ष महोदय के साथ हुऐ अनुबंध की प्रति भी उपलब्ध कराये
- > प्रस्तावित खदानों के वर्तमान भू-जल स्तर को केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
- यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें
- जिन किसानो की भूमि खदान क्षेत्र में आ रही है उनके साथ नियमानुसार अनुबंध किया जाये तथा उनकी भूमि के विगत् 02-03 वर्षों के फसल उत्पादन की पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।
- 15 ब्लॉकों के शासकीय भूमि तथा निजि भूमि का खसरावार क्षेत्र दर्शाते हुये तालिका प्रस्तुत की जावें तथा जो निजि किसान प्रभावित होंगे उनमे से जन—सुनवाई मे कौन—कौन से किसान उपस्थित हुये एंव उनके द्वारा क्या—क्या सुझाव आपित्त दी गई, उनके सुझाव/आपित्त का बिन्दुवार निराकरण संबंधी जानकारी तालिका में प्रस्तुत करें।
- खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये है अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) प्रस्तुत करें।
- > इस खदान की जनसुनवाई के दौरान खदान क्षेत्र में में रोजगार, वृक्षारोपण, स्कूल की वाऊण्ड्रीवाल एवं स्कूल में पंखे लगाये जाये इत्यादि इन बिंदुओ ई.एम.पी / सी.ई.आर में शामिल करें।
- ब्लॉक वार प्राप्त मृदा का उपयोग स्पष्ट किया जावें । रोपण क्षेत्र एंव हरित पट्टी में मृदा उपयोग दर्शाया गया है, परन्तु क्षेत्रवार उपयोग कहां -कहां उपयोग किया जाये ।
- ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में खनन क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी जैसे ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की कब बैठक आहुत की गई थी एंव उसमें कितने लोग उपस्थित हुये। जिनकी भूमि खनन उपयोग के लिये प्रस्तावित है को स्पष्ट नही किया गया है।
- वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तावित स्थल एंव परिवहन मार्ग मे कितनी लंबाई तक कितने पौधे (संख्या) कब—कब लगेगे। इस संबंध में बजट का प्रावधान नही किया गया है।
- योजना में यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन के दौरान फोसिल्स प्राप्त होते हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से वन विभाग को प्रदान किया जाये।
- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत डायनोसोर एंव वृक्ष जीवाश्म की उपलब्धता संभावना एंव प्रबंधन एंव स्थानीय स्कूल, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशु औषधालय पर अधोसंरचना विकास संबंधी अध्ययन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- खदान क्षेत्र का विस्तृत निम्नानुसार वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की जावें।

क्.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन एंव नॉन		

	माइनिंग जोन		
2.	ग्राम सीमा मे स्थित ग्राम वासियों को वितरण हेतु फलदार पौधों का वितरण		
3.	शासकीय विद्यालय या ग्रामपंचायत के परिसर लगने वाले पौधों का विवरण		
4.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मी. (कुल लंबाई मे)		
		योग	

4. Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 1.975 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण परीक्षण हेतु दिनांक 13/07/2023 को सूचीबद्ध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक श्री शिशुपाल सिंह यादव ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा आज दिनांक 13/07/23 को उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 317 दिनांक 14/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है । प्रश्नाधीन आवंटित खदान के मध्य में कुछ मकान / सरंचनाए दिख रही है एवं पूर्व की ओर अल्प भाग खुदा हुआ दिखाई दे रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से वर्ष 2018 को जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिए था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक जानकारी के साथ अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें उसके पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

5. <u>Case No 9901/2023 Shri Sanjeev Sharma, Owner, R/o D/2/001, Windsor Hills, New City Centre, Sirol, District-Gwalior (MP)-474001, Prior Environment Clearance for Gadajar Flagstone Quarry in an area of 2.585 ha. (15001 cum per annum) (Khasra No. 64, 65), Village-Garajar, Tehsil-Morena Hal, District- Morena (MP)</u>

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 64, 65), Village-Garajar, Tehsil-Morena Hal, District- Morena (MP) 2.585 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 649वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण परीक्षण हेतु दिनांक 13/07/2023 को सूचीबद्ध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक श्री संजीव शर्मा ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा आज दिनांक 13/07/23 को उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 72 दिनांक 24/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है । आवंटित खदान की पूर्वी सीमा के 05 मीटर अंदर से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है यही कच्चा रोड़ खदान के दक्षिणी सीमा से 21 मीटर की दूरी से पश्चिम दिशा में जा रहा है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हॉलेज रोड है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 72 दिनांक 24/01/2023 अनुसार द्वारा सूचित किया गया कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ ली जायेगी।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन 15,001 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.20 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
गडाजर शासिकय माध्यमिक विद्यालय में बाउन्ड्री वॉल में मेन गेट लगवाया जायेगा एवं ग्राउन्ड का मेन्टेनेन्स कार्य कराया जायेगा।	1,05,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3100 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1100
2.	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1600
		योग	3100

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No 9905/2023 M/s Maa Tripur Sundari Trading & Construction, Ms Rekha Chaturvedi, Owner, R/o Ward No. 10, Camp Umariya, District-Umariya (MP)-484661, Prior Environment Clearance for Bhaganwara Dolomite Mine in an area of 3.660 ha. (40006 Tonne per annum) (Khasra No. 04), Village-Bhaganwara, Tehsil-Badavara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 04), Village-Bhaganwara, Tehsil-Badavara, District-Katni (MP) 3.660 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की 650वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक रेखा चतुर्वेदी ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 1939 दिनांक 24/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। खदान भूमि पर आवंटित है।

परीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दी गई कि माईन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के अंदर 05 पेड़ है जिनको काटा जाना प्रस्तावित नही है । उत्तर पूर्व दिशा में 25 मीटर की दूरी पर एक कच्चा रोड है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पौधारोपण के लिए खदान क्षेत्र के अंदर की स्वाईल प्रोफाईल का विवरण नहीं दर्शाया है अतः प्रस्तावित पौधारोपण स्कीम को अनुमोदित नहीं की जाती है अतः स्वाईल प्रोफाईल के साथ पौधारोपण स्कीम पुनः प्रस्तुत करे एवं ईएमपी योजना में गेम प्रुफ का प्रस्ताव दे, तत्पश्चात् इस प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22/06/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 13/07/23 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक रेखा चतुर्वेदी ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ. प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट–40,006 टीपीए।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.77 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
माध्यमिक शाला भगनवारा में बाउंड्री वाल की मरम्मत और गेट का निर्माण व वृक्षारोपण	75,000
ग्राम भगनवारा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	25,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3660 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	322
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	748
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	548
4	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800

5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत भगनवारा के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	560
6	ग्राम पंचायत भगनवारा के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित	682
		कुल	3660

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No 9374/2022 M/s M.P.Minerals, Partner, Shri Kaushal Kishore, 205, Niwasi Panchvati, Vinayakpur, K.P. University, Dist. Kanpur, UP - 208024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.35 ha. (44289 Cum per annum) (Khasra No. 307/3/K), Village - Lilauri, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 307/3/K), Village - Lilauri, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP) 4.35 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 603वीं दिनांक 04 / 11 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण समिति की 650वीं बैठक दिनांक 07/06/23 को प्रस्तुत हुथा, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री कौशल किशोर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी भाग में 260 मीटर, उत्तर भाग में 130 मीटर तथा पश्चिमी भाग से 350 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा दक्षिण भाग में 60 मीटर पर रोड़ है प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज का दक्षिण—पूर्वी भाग खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान इसी स्थिति में आवंटित हुई है तथा इस भाग पर एक अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत थी, जिसके द्वारा खनन्

कार्य किया गया था । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे निम्न बिंदुओ पर जानकारी प्रस्तुत करे :--

- बैरियर जोन में 05 से 06 स्थानो में स्वाईल प्रोफाईल का फोटोग्राफ सहित विवरण ।
- गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में में 130 मीटर पर आबादी है तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर रोड़ है अतः इनके संरक्षण हेतु नियमानुसार संरक्षण योजना प्रस्तुत करें।
- इस खदान की जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत पतौड़ा ग्राम— लिलौरी पोस्ट बाबूपुर जिला—सतना के उपसरपंच एंव सरपंच द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया के दौरान अपनी आपित दर्ज कराई गई कि ग्राम मे पूर्ववत् खदान मे0. श्रीजी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन क0. द्वारा 100 फुट गहरी एंव 500 फुट चौड़ी खदान खोलकर आज दिनांक तक कोई भी सुरक्षा तार, बाड़ी या भराई नहीं की गई जिससे पशुओं एंव आमजन को परेशानी होती है। अतः समिति का सुझाव है, कि इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय को सिया स्तर से पत्र लिखा जाना प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायत, ग्राम— लिलौरी पोस्ट बाबूपुर जिला—सतना के वर्तमान सरपंच ने पत्र जावक कृ0. 02 दिनांक 05/04/2023 द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दी जाने का उल्लेख किया गया है। अतः वर्तमान सरपंच से अनापित्त प्रमाण—पत्र के संबंध में पुष्टि किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 22 / 06 / 23 की अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 13/07/23 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री कौशल किशोर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उनके इस प्रकरण में पर्योवरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ. प्र. की सेवाये ली जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया / सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है । प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में में 130 मीटर पर आबादी है तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर रोड़ है अतः इनके संरक्षण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304 / 2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तये है, जिसके परिपालन में हमारी खदान के पूर्वी भाग 260 मीटर एवं उत्तरी भाग में 130 मीटर पर आबादी है जिसके लिये हमने 200 मीटर का सेटबेक एरिया दिया है जिसको गूगल मेप पर दर्शाया गया है । जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत पतौड़ा ग्राम– लिलौरी पोस्ट – बाबूपुर जिला-सतना के उपसरपंच एंव सरपंच द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया के दौरान अपनी आपत्ति के संबंध में बताया कि यह हमारे खदान से संबंधित नहीं है अपितृ में0. श्रीजी इंफ्रा कंस्ट्रक्शन क. से संबंधित है हमारे जब भी खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा तब शासन के दिशा निर्देशो का पालन करते हुए भारतीय खान ब्योरो द्वारा निर्धारित मापदंड एवं पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप ही कार्य कराया जायेगा ।

ग्राम पंचायत, ग्राम— लिलौरी पोस्ट — बाबूपुर जिला—सतना के वर्तमान सरपंच ने पत्र जावक कृ0. 02 दिनांक 05 / 04 / 2023 द्वारा एन.ओ.सी. नहीं दी जाने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरपंच, कार्यालय ग्राम पंचायत पतौडा जनपद पंचायत सोहवल जिला —

सतना के पत्र दिनांक 09/06/23 के द्वारा सूचित किया कि जनसुनवाई के दौरान मेरे किये गये लेख को निरस्त माना जाये अतः में उपरोक्त क्षेत्र में अनापत्ति प्रदान करता हूं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—42,289 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.72 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला लिलौरी में ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार अवस्यक वस्तुओ की व्यवस्था	35,000
लिलौरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर CMO की सलाह से आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	85,000
योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4350 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, काला / सफेद सिरस , चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित।	600
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	500
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	950
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत लिलौरी के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित।	720

6	ग्राम पंचायत लिलौरी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा सहित।	580
		कुल	4350

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No 9989/2023 Shri RAM KISHORE SINGH, OWNER, GAHABARA STONE & M-SAND QUARRY, Village Pahra, Post Pahra District Mahoba (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry and M-Sand in an area of 4.00 ha. (Stone Quarry – 40,014 Cum per annum and M-Sand – 26,676 Cum per annum) (Khasra No. 3834), Village GAHABRA Tehsil Gaurihar District Chhatarpur (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थाना का नाम व पता	Shri RAM SINGH, OWNER, GAHABARA STONE & M-SAND QUARRY, Village Pahra, Post Pahra District Mahoba (U.P.)		
परियोजना का खसरा नं.	3834	4.00 Ha	
/ लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)			
परियोजना स्थल	Village GAHABRA Tehsil Gaurihar District Chhatarpur (M.P.)		
परियोजना की श्रेणी	B-1 Stone Quarry and M-Sand		
(बी-1 / बी-2)			
खनन् कार्य ब्लास्टिंग /	खनन् योजना के अनुसार खनन्	्कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
रॉक ब्रेकर	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
प्रकरण की स्थिति	Fresh		
(नया / क्षमता विस्तार)			
डिया द्वारा जारी ई.सी. का	NA		
विवरण (यदि लागू हो)			

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल पत्थर एवं एम—सेंड—66,690		
	घनमीटर / वर्ष (एम—सेंड—26,676 घनमीटर / वर्ष एवं पत्थर— 40,014		
	घनमीटर / वर्ष) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन्		
	योजना के पेज नं.—17 अनुसार कुल पत्थर एवं एम—सेंड—66,690		
	घनमीटर / वर्ष (एम—सेंड—26,676 घनमीटर / वर्ष एवं पत्थर—40,0014		
	घनमीटर / वर्ष) हेतु स्वीकृत है।		
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल		
परिधि में संचालित / स्वीकृत	प्रमाण-पत्र क्रमांक 753 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की		
अन्य खदानों का विवरण	परिधि में कोई खदान संचालित नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के		
	अंतर्गत आता है ।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल		
डीएफओ की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 753 दिनांक 12/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर		
	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव		
	विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल		
जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 753 दिनांक 12/04/23 अनुसार 500 मीटर की		
	परिधि में मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व		
	धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेल्वे लाईन / सार्वजनिक		
	भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :		
	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अङ्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय		
	निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा		
	रास्ता / पक्का रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की	ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 15/08/20 अनुसार		
अनुमति	खनन् कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
प्रस्तावित खदान की गूगल	खदान क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है, जिसकी समीप की सतह से ऊंचाई		
इमेज अनुसार स्थिति (यदि	लगभग 9.0 मीटर है ।		
1 '			
सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा— कच्चा रोड़ 70 मीटर		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
रिथति	दिनांक 21/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त खदान को		
	अद्यतन डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा। समिति ने चर्चा		
	उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत		
	निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22		
	(प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक		
	04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी		
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–40,014 मी³ प्रति वर्ष एवं एम–सेंड – 26,676 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 6.63 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
प्राथमिक स्वास्थ केंद्र गहबरा (ग्राम गहबराद्ध) Wheel Chair - 5 & Stretcher – 3 2. ECG Machine -1 3. Refrigerator -1	50,000 25,000 25,000
योग	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। गड्ढे का आकार 70×70×70 से.मी.	3000
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री–गार्ड के साथ।	300
3	गहबरा ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
		कुल	4800

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

9. <u>Case No 9996/2023 Shri KULDEEP JAIN, lease owner, Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in Add.- Ward No. 12, Kathali Bazar (MP) Prior Environment Clearance for Murrum C</u>

<u>area of 2.00 ha. (9,000 Cum per annum) (Khasra No. 83), Village Kasba Sironj, Tehsil - Sironj, Distt - Vidisha, (M.P.)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/07/23 को परियोजना प्रस्तावक कुलदीन जैन (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंवायरोटेक इं.प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थाना का नाम व पता	Shri KULDEEP JAIN, lease owner, Kasba Sironj Murrum Mine AddWard No. 12, Kathali Bazar, District-Vidisha (MP)	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	83 2.00 Hectares	
परियोजना स्थल	Village Kasba Sironj, Tehsil - Sironj, Distt - Vidisha, (M.P.)	
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	B-2 Murrum Quarry	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना के अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	Fresh	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरूम—9,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.—13 अनुसार मुरूम—9,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कमांक 853 दिनांक 25/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 853 दिनांक 25 / 04 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व	

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनुमति	धरोहर/राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है । नगर पालिका परिषद् के क्रमांक 2402 दिनांक 15/02/22 अनुसार खनन् कार्य हेतु परिषद् को कोई आपित्त नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	कुछ पेड़ लगे हैं, जिन्हें काटा नहीं जायेगा सरफेस मेप में इनको नॉन माईनिंग एरिया के रूप दर्शाया गया है । उपलब्ध खनन् योग्य क्षेत्र 1.5 हे. है उत्तर दिशा— पक्का रोड़ 186 मीटर दक्षिण दिशा— कच्चा रोड़ 64 मीटर एवं दक्षिण—पश्चिम दिशा में कंट्रक्शन कार्य 209 मीटर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा ने पत्र क्रमांक 853 दिनांक 25/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सम्मिलित किया जावेगा । सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीईआर योजना के संबंध में गांव में स्थित विद्यालय के प्राचार्य की सलाह से आवश्यकतानुसार जानकारी प्रस्तुत की जावेगी । उक्त जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा।

10. Case No 9476/2022 M/s Sharma Associates, Shri Dinesh Sen, Prop., Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (30,000 Cum per annum) (Khasra No. 558), Village - Kudakalan, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 558), Village - Kudakalan, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (MP) 10.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 613वीं दिनांक 26 / 12 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 650वीं बैठक दिनांक 08/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु सिमति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । प्रकरण पुनः आज दिनांक 13/07/2023 को सूचीबद्ध किया गया, किन्तु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार उपस्थित नहीं हुए अतः सिमति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा भेजी जावे ।

11. Case No 9060/2022 Shri Tapan Vaishnav Onwer, 52/1, Jain Colony, Nayapura, Ujjain (MP), MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.990 ha. (Stone - 38000 cum per annum, Waste - 2000 cum per annum) (Khasra No. 07 Govt.), Village - Umariya Jagir, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP)

प्रस्तावित खदान का परियोजना प्रस्तावक तपन वैष्णव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल द्वारा आज दिनांक 13/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri TAPAN VAISHNAV, Owner, Um	nariya Stone Mine, 52/1, Jain Colony,	
परियोजना /	Nayapura, Ujjain (MP)		
कम्पनी / संस्थाना			
का नाम व पता			
परियोजना का	7 (Govt Non-Forest Land)	3.999 ha	
खसरा नं. / लीज			
क्षेत्रफल			
(सरकारी / निजी)			
परियोजना स्थल	Village Umariya Jagir Tehsil & Distt. Ujjain (M.P.)		
परियोजना की श्रेणी	B-1 Stone Quarry		
(बी-1 / बी-2)			
खनन् कार्य	अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.—15 अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग		
ब्लास्टिंग / रॉक	प्रस्तावित है ।		
ब्रेकर			

प्रकरण की स्थिति	Fresh
(नया / क्षमता	
विस्तार)	
डिया द्वारा जारी ई.	NA
सी. का विवरण	
(यदि लागू हो)	
सेक की बैठक द्वारा	560वी दिनांक 12 / 03 / 22
टॉर अनुसंशित	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—38,000 घनमीटर / वर्ष, ओव्हरवर्डन एस
	वेस्ट—20,000 घनमीटर / वर्ष एवं सेलेबल वेस्ट—2000 हेतु आवेदन किया गया
	है और अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.—18 एवं 19 अनुसार पत्थर—38,000
	घनमीटर / वर्ष एवं वेस्ट—2000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500	,
मीटर की परिधि में	234 दिनांक 10 / 06 / 21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें
संचालित / स्वीकृत	संचालित / स्वीकृत होने की जानकारी दी गई है किंतु रकबा का उल्लेख नहीं
अन्य खदानों का	है ।
विवरण	
	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
में डीएफओ की 234 दिनांक 10/06/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
एनओसी पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में	
	स्थित नहीं है ।
परियोजना के संबंध	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
राजस्व जानकारी	234 दिनांक 10 / 06 / 21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक / रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत उमरिया जागीर जिला उज्जैन के टहराव प्रस्ताव क्रमांक 01
पंचायत की अनुमति	दिनांक 03 / 11 / 2017 अनुसार खनन् कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपित्त
विभावत का जारुगात	नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर	प्रस्तावित स्थल पर 15 पेड़ लगे है, जिन्हें काटा जायेगा अतः सुरक्षित स्थल पर
वृक्षों की वर्तमान	अरिक्ति 150 पौधों का रोपड़ परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जा चुका है।
स्थिति	and the state of t
	खदान का दक्षिण –पश्चिम भाग खुदा हुआ है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया
	कि हमे यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है, जिसको खनन्
	योजना / सरफेस मेप पर दर्शाया गया है ।
<u> </u>	

आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा— कच्चा रोड 230 मीटर
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की संपन्न जनसुनवाई में रोजगार, जल छिडकाव इत्यादि आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर
	में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित
की स्थिति	नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल कमांक-86 पर दर्ज है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—38,000 घनमीटर / वर्ष एवं वेस्ट—2000 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 11.56
- 3. लाख प्रति वर्ष ।
- 4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Fund to DFO Ujjain for developmental work for development of Shipra Vihar Paryawaran Sthal	200000.00
योग	200000.00

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4520 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

Phase	Location	- 100-100	No. of Plants	Remark
2^{nd}		r Neem, White Kastar, Seetaphal, Gutmar f Ki Bel, Chirol, Khamar and other local 7 species etc. Row To Row Distance: 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs		Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility & Over heap and along the garland drain.
1 st to	Along the transpor	t Karanj, Neem, Jangle Jalebi, Mahua,	720	

2 nd year		Pipal, Bargad, Aam, Jamun, Seasam, Sisso, and other local species		
	at Umariya Jagri,	Karanj, Munga, Neeem, leman, Mango Sitafal, Jamun, Fruiet species and other local species etc.		4ft height saplings.
		Total	4520	

अनुशंसा: जपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. <u>Case No 9997/2023 Shri DHARMENDRA PATIDAR</u>, <u>Proprietor</u>, <u>Devari Khawasa Stone (Gitti) Quarry Project Gram-Devri khawasa Teahsil-Manasa Dist-Neemuch (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (Stone – 24,538 cum per annum, Waste - 2000 cum per annum) (Khasra No. 1839/2 (Govt.), <u>Village DEWRI KHAWASA Tehsil Manasa District Neemuch (M.P.)</u></u>

प्रस्तावित खदान का परियोजना प्रस्तावक धर्मेद्र पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज, मेसर्स Zenith Environment Consultancy, Noida, Uttar Pradesh द्वारा आज दिनांक 13/07/23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थाना का नाम व पता	Shri DHARMENDRA PATIDAR, Proprietor, Devari Khawasa Stone (Gitti) Quarry Project Gram-Devri khawasa Teahsil-Manasa Dist-Neemuch (M.P.)		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1839/2 (Govt.)	4.00 Hectares	
परियोजना स्थल	Village DEWRI KHAWASA Tehsil Manasa District Neemuch (M.P.)		
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	B-2 Stone Quarry		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना के अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	Fresh		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 1187 दिनांक 22 / 08 / 17 के द्वारा पर्यावरणी अभिस्वीकृति जारी की गई है ।		

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—24,538 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन
	किया गया है और अनुमोदित खन्न योजना के पेज नं.—18 अनुसार
	पत्थर—24,538 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।
परियोजना के 500 मीटर	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र
की परिधि में संचालित	क्रमांक 603 दिनांक 15/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
/स्वीकृत अन्य खदानों	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के
का विवरण	अंतर्गत आता है ।
परियोजना के संबंध में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र
डीएफओ की एनओसी	क्रमांक 603 दिनांक 15/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
परियोजना के संबंध	,
राजस्व जानकारी	कमांक 603 दिनांक 15/05/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक/रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/शमशान
	घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन,
	हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय
	निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा
	रास्ता / पक्का रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक ०४ दिनांक २८/०४/१७ अनुसार
की अनुमति	खनन् कार्य से ग्राम पंचायत को कोई आपित्त नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	N/A
की वर्तमान स्थिति	
प्रस्तावित खदान की गूगल	
इमेज अनुसार स्थिति (यदि	उत्तर-पूर्व दिशा-कच्चा रोड़ ४१३ मीटर
सेटबैक आवश्यक हो)	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
रिथिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—20 के सरल
	कुमांक—30 पर दर्ज है ।
L	<u> </u>

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से 22/08/17 को जारी हुई है एंव खनन् का कार्य पूर्व में हुआ है डिया द्वारा अधिरोपित ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिऐ था । अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक प्रति एवं अन्य शर्तों का शत् प्रतिशत पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें तब उनके प्रकरण पर विचार किया जायेगा ।

13. Case No 9990/2023 Shri MUKESH PRAJAPAT, Lessee, Bagakheda Stone, M-Sand & Murrum Quarry, R/o- 18 Vidhyut Colony Jaora, Tehsil- Jaora, District Ratlam, M.P Prior Environment Clearance for Stone, M-Sand & Murrum Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone – 20,000 cum per annum, M-Sand – 10,000 cum per annum and Murrum – 10,526 cum per annum) (Khasra No. 268 (Govt.), Village Bagakheda, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.).

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश प्रजापति एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थाना का नाम व पता	Shri MUKESH PRAJAPAT, Lessee, Bagakheda Stone, M-Sand & Murrum Quarry, R/o- 18 Vidhyut Colony Jaora, Tehsil- Jaora, District Ratlam, M.P		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	268 (Govt.)	4.00 Hectares	
परियोजना स्थल	Village Bagakheda, Tehsil- Jaora, District- Ratlam (M.P.).		
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	B-2 Stone, M-Sand & Murrum Quarry		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना के अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	Fresh		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA		
उत्पादन क्षमता परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृत	एम—सेंड—10,000 घनमीटर / वर्ष आवेदन किया गया है और अनु अनुसार पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम—10,52 कार्यालय कलेक्टर (खनिज	पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष, र्व एवं मुरूम—10,526 घनमीटर / वर्ष हेतु नुमोदित खनन् योजना के पेज नं.—20 घनमीटर / वर्ष, एम—सेंड—10,000 6 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है। शाखा) जिला रतलाम के एकल ह 17 / 05 / 23 अनुसार अनुसार 500	
अन्य खदानों का विवरण			

परियोजना के संबंध में	,				
डीएफओ की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक ९९० दिनांक 17/05/23 अनुसार 10 किलोमीटर				
	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव				
	विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।				
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल				
जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 990 दिनांक 17/05/23 अनुसार 500 मीटर की				
	परिधि में मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व				
	धरोहर / राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / रेल्वे लाईन / सार्वर्जा				
	भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे :				
	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जर्ल				
	निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा				
	रास्ता / पक्का रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है ।				
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की	ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 09/03/23 अनुसार				
अनुमति	खनन् कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।				
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की	की 07 पेड़ है				
वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 02				
	Additional tree to be planted - 20				
प्रस्तावित खदान की गूगल					
इमेज अनुसार स्थिति (यदि प्रस्तावक ने बताया एकल प्रमाणपत्र में भी उल्लेख है कि पूर्व र					
सेटबैक आवश्यक हो)	निर्माण हेतु सर्वे क्रमांक 243 में अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी ।				
	उक्त अस्थाई अनुज्ञा का पूर्व का गढढा (पूर्व दिशा में) स्थित है ।				
	उत्तर-पश्चिम दिशा से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है यह पुरानी				
	खदान का हॉलेज रोड़ है।				
	पूर्व दिशा— तालाब 418 मीटर				
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड़ 281 मीटर				
	·				
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	/ /				
रिथति	दिनांक 17/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त उत्खनिपट्टा				
	को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिय				
	जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय				
	स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं				
	बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र				
	क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में				
	इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण व				
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।					
	निवानर तम स्थानगर एतु । साचा चरा अनुसारास विश्वा आव ।				

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–20,000 घनमीटर / वर्ष, एम–सेंड–10,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरूम–10,526 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.26 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में 1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर एवं 1 कम्प्यूटर—टेबल उपलब्ध कराई जाएगी।	50,000
ग्राम बागाखेड़ा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध करवाई जावेगी	70,000
योग	1,20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4820 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, बबूल, जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	200
3	ग्राम बागाखेड़ा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— कचनार, चिरोल, नीम, कदम्ब, बरगद, पाखड़, पीपल आदि।	50
3	उत्खनिपट्टे के नजदीक स्थित थाना चौकी परिसर में 50 पौधे लगाए जावेंगे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— कचनार, चिरोल, नीम, कदम्ब, बरगद, पाखड़, पीपल आदि।	50

कुल 4820

अनुशंसा :- उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No 9447/2022 M/s Sharma Associates, Partner Shri Dinesh Sen, Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 13.450 ha. (100000 Cum per annum) (Khasra No. 339), Village - Belkhedi, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (MP)</u>

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 339), Village - Belkhedi, Tehsil - Shahpura, Dist. Jabalpur (MP) 13.450 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 609वीं दिनांक 07 / 12 / 2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण 650वीं बैठक दिनांक 08/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । परियोजना प्रबंधन को अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण पुनः 659वीं बैठक दिनांक 13/07/2023 में सूचीबद्ध किया गया, किन्तु परियोजना प्रस्तावक उपस्थित नहीं हुए। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण को डिलिस्ट करने हेतु सियाको प्रेषित किया जाये।

15. Case No 7194/2020 M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, "Artefact Towers", 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Dist. Nagpur, Mah. Prior Environment Clearance for Expansion of Manganese Ore Mine in an area of 6.159 ha. (Expansion from 3000 TPA to 12821 TPA) (Khasra No. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102), Village - Jarah Mohgaon, Tehsil - Katangi, Dist. Balaghat (MP))

प्रकरण समिति 595वीं बैठक दिनांक 22/09/22 एवं 597वीं दिनांक 06/10/22 को अनुपस्थित रहने से प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करने हेतु अनुशंसित है।

प्रकरण सिया से रिलिस्ट होकर पुनः समिति को परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 13/07/23 रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पी.के. विसेन एवं उनके

पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । सिनित ने प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में ही पाया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार के रूप में M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd द्वारा प्रस्तुत किया गया है किन्तु खदान की पर्यावरण स्वीकृति में. जयपुरिया लियो के नाम पर जारी हुई है। परियोजना प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में सम्पूर्ण व्यापार में. जयपुरिया लियो के नाम पर ही किया जा रहा है। वर्तमान तक पर्यावरणीय स्वीकृति M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, Nagpur के नाम हस्तांतरित नहीं हुई है। अतः सिमति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित होने तक नये प्रबंधन के नाम से क्षमता विस्तार प्रकरण पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। अतः सिमिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पहले पर्यावरण स्वीकृति M/s. Glowide Infrastructure Pvt. Ltd, Nagpur के नाम पर सिया के माध्यम से हस्तांतरित होने के पश्चात् आपके प्रकरण में विचार किया जावेगा।

16. <u>Case No.- 9992/2023 Dr Pranjal Patel, Director, RESTOREHEALTH MEDICARE PRIVATE LIMITED</u>, 26 A & B, Block -E, Panki, Kanpur Nagar 208020 (U.P.). <u>Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Plot No.- 17 (P & H) Sector B-I in IGC Maneri, District - Mandla (M. P.). Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.</u>

This is a case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Plot No.- 17 (P & H) Sector B-I in IGC Maneri, District - Mandla (M. P.).

The proposed project is for setting up of common bio-medical waste treatment facility and project falls under Category "B" Projects of activity 7(da) as per EIA Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendments under Bio- Medical Waste Treatment Facilities. The online application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal and necessary recommendations.

The case was presented by Environment Consultant Shri Sanjay Singh, Functional Expert, Dr Shri Hari Om Sharan Dwivedi (Online), Green Enviro Engineers Pvt. Ltd. Kanpur (U.P.) and PP Shri Shailendra Bajpai amd Dr Pranjal Patel, Director(Online), on dated 13/07/23 wherein PP stated that proposed Common Bio Medical Waste Treatment Facility involves collection, Transportation, storage and treatment of Biomedical waste from health care facilities and this proposed project is for temporary storage and treatment of Biomedical Waste.

The salient features of the project are given below:

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No SIA/MP/INFRA2/425465/2023.		

2.	Proposal /Activity Name	Common Bio Medical Waste Treatment Facility by Dr Pranjal Patel, Director, RESTOREHEALTH MEDICARE PRIVATE LIMITED, 26 A & B, Block -E, Panki, Kanpur Nagar 208020 (U.P.).			
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Plot No 17 (P & H) Sector B-I in IGC Maneri, District - Mandla (M. P.). Cat. – 7(da) Common Bio-Medical Waste Treatment Facility.			
4.	EC Status (Fresh or Exp.)	New.			
5.	Undertaking	No Construction start at site submitted letter No. dated 08/05/2023.			
6.	Project Cost	500 Laks.			
7.	Description of Project	Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Plot no.17 (P & H) Sector B-I in IGC Maneri, District Mandla (Madhya Pradesh).			
8.	No Construction Activity Start at Project Site	PP Undertaking Submitted Vide affidavit letter dt. 10/05/23.			
9.	Project Area	at Plot no.17 (P & H) Sector B-I in IGC Maneri, District Mandla (Madhya Pradesh).			
10.	Plot Area	4500 Sq.mt. (As per PFR)			
11.	LETTER OF INTENT	MP IDC Ltd. Letter dated 10/02/2023			
12.	Production Capacity-	• 1 No. Incinerator of capacity 250 kg/hr (Dry)			
		• 1 No. Autoclave of capacity 1000 Batch/Hour			
		• 1 No. Shredder of capacity 100 kg/hr			
		• ETP Capacity – 10 KLD (MBBR)			
		(Bio medical waste from Hospitals and other institution- 1800 TPA.) (As per PFR) Pg -7.			
13.	Nearest operational CBWTF details	92 KM Elite Engineers 48 Narmada Road Jabalpur(M.P.)			
14.	CGWA / Gram Sabha NOC	PP Undertaking Submitted Less than 10 KLD. Dated 10/05/23.			
15.	Range of ground water table (post monsoon) (m bgl)			
16.	Water Requirement	Approximately 5 KLD of water required during construction of the unit from Private water tankers			
17.	Waste water generation	5.2 KLD			
18.	Power Requirement	Approx. 25 kVA for operation phase Supply source – (MPPCL) Back up- DG. Set of 62 KVA capacities as standby.			
19.	Water NOC details	PP Apply MPIDC Jabalpur Area letter dt. 04/06/23.			
20.	Gram Sabha / Gram Panchaya	yat Tharav Prastav - Industrial Area (NoC not required).			
21.	Env. Con.	Shri Hari Om Sharan Dwivedi, Green Enviro Engineers Pvt. Ltd. Kanpur (U.P.). Valid up to 20/09/2024.			

PP further stated that proposed Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) Consisting of Incineration System having Capacity of (250 kg/Hr * 2 Nos.), Autoclave having Capacity of (1000 liter/Batch * 1 Nos.), Shredder having Capacity of (100 kg/Hr * 1 Nos.) and Chemical Disinfection Unit (2000 liter/Day* 1 Nos.) .

The Project Proponant submitted their views during discussion as follows:

- **Compliance with Regulations**: We request you to please follow all regulations and guidelines included in the CPCB Guidelines 2016 [Clause 2, under point e, f, and Fig. 1] for the selection of CBWTF in an area.
- "CPCB Guidelines-2016" is mandatory to follow as per "BMWMR-2016" [Clause 3 (C), (D), & Clause 5 (a)]. There were many orders given by Hon'ble NGT and directions issued by MOEF/CPCB that "CPCB Guidelines-2016" is a part of "BMWMR-2016".
- **23 Years of Experience**: We have 23 years of experience in Biomedical Waste management, providing services to more than 10,000 Health care facilities currently through 5 CBWTFs.
- Commitment to Timely Project Completion: We are well prepared to establish a state-of-the-art/Latest Technology Common Bio-Medical Waste Treatment Facility (CBWTF) within 3 months.
- **Request for Conditional TOR and EC**: We kindly request your consideration for a conditional TOR and EC for our proposal number SIA/MP/INFRA2/425465/2023, submitted before the proposal of Krupa Wastages, Seoni, Madhya Pradesh (Proposal No: SIA/MP/INFRA2/427177/2023).

It is also pertinent to note that earlier M/s Ramky has obtained EC to establish facility at mandla district but they still not established the same and accordingly in the SEAC 649th meeting dated 07.06.23 the committee already recommended TOR to M/s KRUPA WASTAGES, for Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Plot No 16, Maneri, District - Mandla.

The committee observed that the facility under examination is proposed to be established in the IGC Maneri, District - Mandla and (M. P.). It is a matter of administrative decision to be taken by the SEIAA as per the guide lines of the CPCB and prevailing policy of MPPCB in this regard i.e. Maximum 1000 beds for a facility, waste collection distance of 75 Km radius and one district one CBWTF facility. Hence the case does'n found to be considered for approval of TOR.

17. Case No. 9993/2023 Ms. Saroj, Owner, R/o 188, Vilapura, Motijheel, Jigsoli, District - Gwalior (MP) - 474010, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (5000 Cum per year) (Khasra No.- 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP) [429352]

प्रस्तावित खदान का परियोजना प्रस्तावक सरोज एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इं) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.) द्वारा आज दिनांक 13 / 07 / 23 को समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Ms. Saroj, Owner, R/o 188, Vilapura, Motijheel, Jigsoli, District - Gwalior (MP) - 474010, Prior Environment Clearance for Jakhoda Flag Stone Quarry in an area of 1.50 ha. (5000 Cum per year) (Khasra No 954), Village-Jakhoda, Tehsil-Ghatigaon, District-Gwalior (MP) [429352]		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा न0. 954, 1.50 ha. शासकीय भूमि ग्राम—जखौदा, तह.— घाटीगांव, जिला—ग्वालियर (म.प्र.).		
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	, and the second		
खनन् कार्यः ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नही की जावेगी (खनन् कार्य ड्रिलिंग ऑफ होल्स द्वारा किया जायेगा)।		
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	नया		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर — 5000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फर्शी पत्थर — 5000 घनमीटर / वर्ष घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
सैंधातिक सहमति / LOI	पत्र क0. 15954 दिनांक 23 / 11 / 2022.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 7.320 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 27 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 27 दिनांक 03/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय		

	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय			
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,			
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॅ			
	डैम / नहर / ग्रामीण पक्का रास्ता / नाला इत्यादि स्थित नहीं है।			
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत जखौदा जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05			
की अनुमति	दिनांक 15/07/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से			
	पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।			
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों	प्रस्तावित स्थल पर 02 पेड है, जिन्हें काटा नहीं जायेगा।			
की वर्तमान स्थिति				
प्रस्तावित खदान की गूगल	उत्तर—पूर्व दिशा— पक्का रोड़ ४४८ मी.			
इमेज अनुसार स्थिति (यदि	0 40 //0 : 0			
सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण पूर्वी दिशा— जल रोकने की वृहद् संरचना 323 मी.			
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	प्रभारी अधिकारी(खनिज शाखा) द्वारा पत्र कृ0. 27 दिनांक 03/01/23 द्वारा			
रिथति	उल्लेख किया है, कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी			
	जावेगी।			
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण			
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22			
	(प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में			
लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन				
	के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया			
	जाये।			

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- खदान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा से एक पक्का रोड़ 448 मी निकल रही है एवं दक्षिण पूर्वी दिशा में जल रोकने की वृहद् संरचना 323 मी. अतः इनकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- प्रश्नाधीन खदान मे 02 पेड लगे है अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.
 ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

- 5. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

18. <u>Case No. 9994/2023 Shri RADHEY SINGH, Lessee, 33-34, River view colony Morar, Gwalior Tehils Gird Dist.</u> <u>Gwalior (M.P.) 474006. Prior Environment Clearance for Panihar Iron Mine Area - 4.705 ha, (2,25,834 Tones per annum) (Khasra No. - 1262), Village - PANIHAR, TEHSIL: GHATIGAON DIST. GWALIOR (M. P.).</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/07/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री एन.पी. मिश्रा (ऑन लाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, क्रियेटिव इंवारो सर्वीसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / क0 / संस्थान का नाम व पता	Shri RADHEY SINGH, Lessee, 33-34, River view colony Morar, Gwalior Tehils Gird Dist. Gwalior (M.P.) 474006.Prior Environment Clearance for Panihar Iron Mine Area - 4.705 ha, (2,25,834 Tones per annum) (Khasra No 1262), Village - PANIHAR, TEHSIL: GHATIGAON DIST. GWALIOR (M. P.).		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा न0. 1262, 4.705 ha. शासकीय भूमि ग्राम—पनिहार, तह.— घाटीगांव, जिला—ग्वालियर (म.प्र.).		
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2) खनन् कार्यः ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	बी-1 Iron Ore Mine		
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	नया		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आयरन ओर माईन — 2,25,834 टन/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार आयरन		

ओर माईन — 2,25,834 टन / वर्ष हेतु स्वीकृत है।			
सैंद्धांतिक सहमति / LOI	पत्र क0. 15954 दिनांक 23 / 11 / 2022.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित			
/स्वीकृत अन्य खदानों	गई है।		
का विवरण	ाइ छ।		
परियोजना के संबंध में	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर के पत्र क्रमांक		
डीएफओ की एनओसी	विधालय वन मण्डलाधिकारा, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर के पत्र क्रमाक 3486 दिनांक 10/05/2023 अनुसार निम्नानुसार जानकारी प्रेषित की गई है।		
	• घाटीगांव हुकना पक्षी अभ्यारण ३.५ कि.मी. की दूरी पर स्थित है।		
	आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। (आवेदित क्षेत्र एंव वन सीमा के मध्य कलेक्टर जिला ग्वालियर के पत्र कमांक भू.अ. / 19—11 रा.व. दिनांक 02 मई 2002 के संलग्न सूची अनुसार टी.एन. गोदावर्मन क्षेत्र लगा है)।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय तहसीलदार जिला ग्वालियर द्वारा पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 06/01/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत पनिहार जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 30		
की अनुमति	दिनांक 18 / 04 / 2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।		
प्रस्तावित खदान की	•		
	दक्षिण दिशा— आबादी — 212 मी., कच्ची रोड़ — 272 मी.		
रिथति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा— कच्ची रोड़ — 07 मी.		
,	प्रकरण बी.—1 श्रेणी का होने के कारण जानकारी पृथक से नही दी गई		
रिथति	है।		

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- खदान की पूर्व में आवंटन से वर्तमान स्थिति तक की कोनोलॉजी एंव उत्पादन संबंधी वर्षवार विवरण की जानकारी के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रमाणिकृत दस्तावेजो (भारतीय खान ब्यूरो) के साथ प्रस्तुत किया जाये।
- 2. पूर्व मे प्रदत्त पर्यावर्णीय स्वीकृति / सी.टी.ओ. मे प्रदत्त शर्तो के अनुपालन संबंधी प्रमाणिक दस्तावेजों को ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये।
- 3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर की एनओसी पत्र में आवेदित क्षेत्र एंव वन सीमा के मध्य कलेक्टर जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक भू.अ. / 19—11 रा.व. दिनांक 02 मई 2002 अनुसार टी.एन. गोदावर्मन क्षेत्र लगा है का उल्लेख किया गया है इस पत्र की कापी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 7. चूॅिक आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लांन ई,आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
- 8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

19. Case No. - 9988/2023 Shri TARANJEET BEDI, Owner, Bhanadehi Crusher Stone Quarry, Shyam Talkies, Narsinghpur Road, Chhindwara (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an of Area - 1.943 ha, (14,537 Tones per annum) (Khasra No. - 356(Govt.), Village BHANADEHI Tehsil Chhindwara District Chhindwara (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 13/07/23 को परियोजना प्रस्तावक तरनजीत बेदी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अंकुर शर्मा मेसर्स Cognizance Research India Pvt. Ltd. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थाना का नाम व पता	Shri TARANJEET BEDI, Owner, Bhanac Talkies, Narsinghpur Road, Chhindwara (TARANJEET BEDI, Owner, Bhanadehi Crusher Stone Quarry, Shyam es, Narsinghpur Road, Chhindwara (MP)	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	356(Govt.)	1.943 Ha.	
परियोजना स्थल	Village BHANADEHI Tehsil Chhindwar	ra District Chhindwara (M.P.)	
परियोजना की श्रेणी (बी–1 / बी–2)	B-1 Stone Quarry		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	खनन् योजना के अनुसार खनन् कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति (नया / क्षमता विस्तार)	Fresh		
डिया द्वारा जारी ई. सी. का विवरण (यदि लागू हो)	NA		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—14,537 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना के पेज नं.—14 अनुसार पत्थर — 14,537 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है।		
मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 458 दिनांक 06/04/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 12.29 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1/बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 458 दिनांक 06/04/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 458 दिनांक 06 / 04 / 23 अनुसार अनुसार 500 मीटर की परिधि में		

	मानव बसाहट / शैक्षणिक संस्थान / चिकित्सालय / पुरातत्व धरोहर / राष्ट्रीय		
	महत्व के स्मारक / रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय		
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,		
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप		
	डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा रास्ता/पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।		
ग्राम सभा/ ग्राम	, , , , , ,		
पंचायत की अनुमति	कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।		
प्रस्तावित स्थल पर	प्रस्तावित स्थल पर कुछ पेड़ है ।		
वृक्षों की वर्तमान			
रिथति			
प्रस्तावित् खदान की			
गूगल इमेज अनुसार	पश्चिम दिशा— पक्का रोड 319 मीटर		
स्थिति (यदि सेटबैक			
आवश्यक हो)			
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	· 3		
की स्थिति	गई है, चूॅकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए.		
	रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान		
	का विवरण दर्ज हो ।		

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. खदान के दक्षिण—पश्चिम दिशा में प्राकृतिक नाला 220 मीटर है, पश्चिम दिशा में पक्का रोड़ 319 मीटर है अतः इसकी सरंक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे ।
- 2. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है अतः वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों की ड्रोन विडियोग्राफी (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 5. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये

- 8. ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
- 20. Case No 8007/2020 M/s Satguru Cements Private Limited, 601/1, Airen Heights, Scheme No. 54, PU 3, Oppo. C 21 Mall, AB Road, Indore, MP Prior Environment Clearance for Limestone Deposit in an area of 95.0 ha. (336912 tonne per annum) (Khasra No. 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 131, 132/1, 132/2, 132/4/1, 132/4/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1/1/A, 140/1/2/B, 1140/1/3/A, 140/1/4, 140/2, 141, 142/1), Village Bekliya, Tehsil Gandhwani, Dist. Dhar

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में टॉर हेतु पीएफआर एवं फार्म—1 में इन गलत खसरों (126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 131, 132/1, 132/2, 132/4/1, 132/4/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1/1/A, 140/1/2/B, 1140/1/3/A, 140/1/4, 140/2, 141, 142/1) का उल्लेख हो गया था, जिसमें समिति की पूर्व की बैठक 473वीं बैठक दिनांक 07/01/21 में टॉर की अनुशंसा की गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने लीज आदेश अनुसार जो वास्तविक खसरें पर टॉर संशोधन हेतु फार्म—3 प्रस्तुत परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें अभी भी सभी खसरें नहीं दिख रहे है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परिवेश पोर्टल पर सभी खसरों का उल्लेख किया गया है, जो तकनीक कारणों से नहीं दिख रहे होंगे ।

प्रस्तुतीकरण आज दिनांक 13/07/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रिवन्द्र जोशी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इंवायरो सिवसेस, भोपाल द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया। सिमिति ने विचार उपरांत पूर्व में 473वीं बैठक दिनांक 07/01/21 अनुशंसित खसरों कमशः 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 131, 132/1, 132/2, 132/4/1, 132/4/2, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140/1/1/A, 140/1/2/B, 1140/1/3/A, 140/1/4, 140/2, 141, 142/1 का उल्लेख किया गया था। स्थान पर 368, 369, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 391, 394/1/1, 394/1/2, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 446, 204, 213, 218, 220, 221, 222, 228, 229, 233,

234, 235, 236, 400, 403/1/1, 403/1/2 पर संशोधन किया जाता है, टॉर में उल्लेखित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी ।

समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान जो खसरो में परिवर्तन किया गया है इसके लिये खनन् योजना में दिये गये आक्षांस—देशांस के पांच बिंदु का परीक्षण किया गया जो सही पाये गये, खनन् योजना 51 खसरे दर्ज है अतः समिति ने निर्देश दिये कि ई.आई.ए. के प्रस्तुतीकरण के समय सभी खसरो को आक्षांस—देशांस को दर्शाने वाली गूगल इमेज प्रस्तुत करेगे ।

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit at least once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.

- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

- permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.

- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतू प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:— भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंक्रण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खसं, घासं, अगेव स्थानीय	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
	घास प्रजातियाँ। 4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फੀਟर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर